भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1135
दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कर्नाटक में जन औषधि केंद्र

1135. श्री जगदीश शट्टरः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के सरकारी अस्पतालों के परिसरों में कोई भी नए जन औषधि केन्द्र (जेएके) खोले जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों पर ध्यान दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार ने राज्य में जन औषधि केन्द्रों की दयनीय स्थिति, जिससे गरीब लोगों को परेशानी और कष्ट हो रहा है, का संज्ञान लिया है, यदि हां, तो क्या इस संबंध में सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे गरीब लोगों को जन औषधि केन्द्रों की वास्तविक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्रों (जेएके) को बंद करने के संबंध में लिए गए निर्णय से संबंधित रिपोर्टों पर ध्यान देते हुए, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि जेएके बाजार में प्रमुख ब्रांडेड दवाओं की तुलना में आमतौर पर 50% से 80% सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएँ प्रदान करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछले 10 वर्षों में राज्य के नागरिकों को लगभग 5,700 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत हुई है। इसमें आगे इस बात पर प्रकाश डाला गया कि प्रत्येक राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थापित जेएके के माध्यम से जन औषधि दवाओं का लाभ उठाने का चयन किया है, जिसके परिणामस्वरूप आज देश भर में लगभग 1,500 जेएके सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से संचालित हो रहे हैं, जिससे रोगियों को काफी सुविधा प्राप्त हो रही है और स्वास्थ्य सुविधा फार्मेसी में दवाओं की किसी भी कमी की स्थिति में उनकी खरीद के लिए एक आउटलेट प्राप्त हो रहा है। इस पृष्ठभूमि में, पत्र में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता बेहतर रूप से सुनिश्चित करने के हित में निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की गई।

राज्य के सभी जेएके में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय औषध और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (जेएके) अपने द्वारा खरीद की गई दवाओं का रखरखाव और आपूर्ति बेंगलुरु और चेन्नई स्थित दो क्षेत्रीय मालगोदामों के माध्यम से करता है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय स्तर पर जेएके की आवश्यकताओं को पूरा करने और नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न जेएके में जनऔषधि दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश के दक्षिणी क्षेत्र में 10 वितरकों का एक सुदृढ़ नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य में खोले गए 1,480 जेएके के माध्यम से वहनीय मूल्यों पर 995 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की गुणवत्तापूर्ण जन औषधि दवाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।

*****